सं.ए-45011/4/2020-प्रशा.III
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
****

नई दिल्ली, दिनांकः 15 मई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित मार्च, 2020 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सुरिन्दर पाल सिंह

(सुरिन्दर पाल सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23092100

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव(एफएस एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (प्रशासन एंड निवेश), आर्थिक कार्य विभाग।
15. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
16. सुश्री मीरा स्वरूप, अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
17. श्री आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव (एफएम), आर्थिक कार्य विभाग।
18. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
19. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (बजट)/ संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/ संयुक्त सचिव (बीसी एंड आईईआर)/संयुक्त सचिव(निवेश)/ सलाहकार (सीएंडएसी/एफएसएलआर/एफएस एंड सीएस)/ सलाहकार (आईईआर)/सीएएए।
20. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
21. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
22. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
23. गार्ड फाइल – 2020

सं. ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषय: मार्च, 2020 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला-संयुक्त) पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी, 2020 में 7.59 प्रतिशत की तुलना में फरवरी, 2020 में 6.58 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति जनवरी, 2020 में 3.10 प्रतिशत की तुलना में फरवरी, 2020 में 2.26 प्रतिशत रही। औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दृष्टि से मुद्रास्फीति जनवरी, 2020 में 7.49 प्रतिशत की तुलना में फरवरी, 2020 में 6.84 प्रतिशत थी। फरवरी, 2020 में कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमश: 10.14 प्रतिशत और 9.84 प्रतिशत रहा।

1.2 मार्च 2020 में पॉलिसी रेपो दर 5.15 से 4.40 प्रतिशत तक पहुंचकर 75 आधार बिंदुओं तक गिरा। पिछले वर्ष की समान अवधि में 14.5 प्रतिशत की तुलना में 13 मार्च, 2020 को बैंक ऋण बढ़त 6.1 प्रतिशत हो गई। 22 मार्च, 2019 को 7.50 प्रतिशत की तुलना में 20 मार्च, 2020 को 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 6.26 प्रतिशत रहा।

1.3 भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में 1.8 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.7 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में 1.4 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) हो गया जो पिछली तिमाही में 6.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से नीचे (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) था। प्राथमिक रूप से एक वर्ष पूर्व 49.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 34.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक के कुल व्यापारिक माल आयात में संकुचन और 31.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 33.2 बिलियन अमरीकी डालर पर उच्च अदृश्य प्राप्तियों को देखते हुए चालू खाता घाटे में वर्ष दर वर्ष आधार पर संकुचन आया। कुल सेवा प्राप्तियां (21.9 बिलियन अमरीकी डालर) और निजी लेनदेन प्राप्तियां, मुख्यतः वे प्राप्तियां हैं जो विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों द्वारा विप्रेषित धन का प्रतिनिधित्व करती है, में एक वर्ष पूर्व के अपने स्तर से क्रमशः 0.9 और 7.8 प्रतिशत की वृद्धि रही। वित्तीय खाते में निवल विदेशी सापेक्ष निवेश 2018-19 की तीसरी तिमाही में 7.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में 10.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था। ऋण और इक्विटी बाजारों दोनों में कुल खरीद के चलते 2018-19 की तीसरी तिमाही में 2.1 बिलियन अमरीकी डालर के बर्हिवाह की तुलना में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में 7.8 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया। वर्ष पूर्व 2.0 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्वाह की तुलना में वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधारों के चलते निवल अंतर्वाह 3.2 बिलियन अमरीकी डालर रहा। वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में 4.3 बिलियन अमरीकी डालर की कमी की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार (बीओपी आधार पर) में 21.6 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त रही।

1.4 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2019 के अंत में 411.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 70.0 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त दर्शाते हुए 13 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 481.9 बिलियन अमरीकी

डालर हो गया। जनवरी, 2020 में 71.31 रुपए प्रति अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की औसत मासिक विनिमय दर (संदर्भ दर) फरवरी, 2020 माह में 71.45 रुपए प्रति अमरीकी डालर रही।

1.5 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में जनवरी, 2019 में 1.6 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में जनवरी, 2020 में 2.0 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। संचयी आधार पर अप्रैल से जनवरी, 2019-20 की अवधि हेतु औद्योगिक बढ़त अप्रैल से जनवरी, 2018-19 के दौरान 4.4 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में 0.5 प्रतिशत थी। आठ मुख्य उद्योगों में फरवरी, 2019 में 2.2 प्रतिशत की तुलना में फरवरी, 2020 में 5.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है। महत्वपूर्ण उद्योगों की वृद्धि अप्रैल- फरवरी, 2018-19 के दौरान 4.2% की तुलना में अप्रैल-फरवरी, 2019-20 के दौरान 1.0% है।

1.6 भारत का व्यापारिक माल निर्यात फरवरी, 2019 के दौरान 26.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2.9 प्रतिशत की बढ़त दर्शाते हुए फरवरी, 2020 के दौरान 27.6 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत का व्यापारिक आयात फरवरी, 2020 के दौरान 37.5 बिलियन अमरीकी डालर का रहा जो फरवरी, 2019 के 36.6 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के आयातों से 2.5 प्रतिशत अधिक थी। भारत का तेल आयात फरवरी, 2020 के दौरान फरवरी, 2019 की तुलना में 14.3 प्रतिशत बढ़ा और गैर तेल आयात 1.6 प्रतिशत तक घटा। फरवरी, 2019 के दौरान 9.7 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में फरवरी, 2020 में व्यापार घाटा 9.9 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

1.7 जनवरी, 2020 के दौरान सेवाओं का निर्यात और आयात क्रमशः 19.0 बिलियन अमरीकी डालर और 12.0 बिलियन अमरीकी डालर रहा। जनवरी, 2020 में सेवाओं का व्यापार संतुलन 7.0 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित है।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1(क) वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी 'कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यदल' का गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 'कोविड-19 के प्रतिउत्तर में जी-20 की कार्ययोजना' को तैयार करने के लिए फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुफ (एफडब्ल्यूजी) को कार्य सौंपने के जी-20 अध्यक्ष के विचार का समर्थन किया है और उस ग्रुप के सह-अध्यक्ष के तौर पर भारत ने अध्यक्ष को इसे जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता का विश्वास दिलाया है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पहल से अपने पड़ौसी सार्क देशों से बात की और इन देशों के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया वाले डॉक्टरों के समूह और विशेषज्ञों के साथ-साथ 10 मिलियन डॉलर कोविड-19 इमरजेंसी कोष में देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सरकार ने कोविड-19 को एक 'अधिसूचित आपदा' घोषित किया है। जिससे भारतीय राज्य सरकारें, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) का एक बड़ा भाग खर्च कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वास्तविक अर्थव्यवस्था एवं बाजार की गतिविधियों की नजदीकी से निगरानी कर रहा है और विदेशी विनिमय बाजारों को नकदी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक का पहले से ही अमरीकी डालर खरीद/बेच- छह माह अमरीकी डालर 2 बिलियन स्वेप ऑक्शन की शुरूआत कर दी है। पर्याप्त मात्रा में रुपए की नकदी को बनाए रखने के लिए आरबीआई ने नीति दर पर कई भागों तक एक ट्रिलियन रुपए (अमरीकी डालर 13.3 बिलियन) के कुल दीर्घावधि रेपो ऑपरेशन (एलटीआरओ) की घोषणा की है। आरबीआई ने अधिक नकदी प्रवाह को डालने के लिए रुपए 30,000

करोड़ (अमरीकी डालर 4 बिलियन) के मुक्त बाजार ऑपरेशंस खरीदों की घोषणा की है। वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन) को बढ़ाने के लिए आरबीआई के गवर्नर ने देशों से आईएमएफ के माध्यम से जल्द ही सामूहिक कार्य योजना को लेने का आग्रह किया है और इसके लिए 16वें जीआरक्यू (कोटास की सामान्य समीक्षा) के घटनाक्रम को आगे लाना है। आईएमएफ एसडीआर आबंटन और अनिदित अल्पावधि नकदी स्वैप सुविधा जोकि आसानी से लगाई जा सके, लाने के बारे में विचार कर रहा है। सभी देशों ने कोविड-19 के जवाब में जी-20 कार्ययोजना बनाए जाने का समर्थन किया है जोकि वैयक्तिगत और सामूहिक कार्यवाइयां जोकि जी-20 द्वारा की गई हैं और कोविड-19 महामारी के जवाब में की जाएंगी। इस कार्य योजना को जी-20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुफ के अंतर्गत अभी तैयार किया जा रहा है।

(ख) वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक का प्रमुख उद्देश्य कोविड-19 के जवाब में जी20 के नेताओं की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाइयों का समन्वय करना था जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कोविड-19 के जवाब में जी20 कार्रवाई योजना बनाने और संचालित करने के लिए अगले चरणों पर चर्चा।

(ii) वित्तीय वहनीयता और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- कम आय वाले देशों में ऋण कमजोरियों के जोखिम के उपाय ढूंढ़ना।
- स्वैप लाइनों के नेटवर्क के विस्तार और आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) आवंटन का उपयोग करने के माध्यम से वैश्विक बाजारों में नकदी बढ़ाना।

(ग) भारत ने 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एसडीआर के प्रस्तावित नए आवंटन पर सतर्कता बरती है, जिसमें कहा गया कि नकदी और नकदी के पलायन के मौजूदा संदर्भ में एसडीआर आवंटन की प्रभावकारिता निश्चित नहीं थी। यह देखते हुए कि वैश्विक सुरक्षा नैट के अभाव में, देश राष्ट्रीय भंडार पर भरोसा करते हैं क्योंकि बाजार में उथल-पुथल और विश्वास के खिलाफ रक्षा की पहली पद्धति और इसके परिणामस्वरूप, इन भंडारों के लिए बाहरी मांग, घरेलू मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता से संबंधित नहीं है, महंगा पड़ेगा, यह कहा गया था कि भारत ने एसडीआर के नए आवंटन का समर्थन नहीं किया। तथापि, भारत ने आईएमएफ द्वारा मौजूदा सुविधाओं से उधार का समर्थन किया है। भारत ने इन मुद्दों पर गौर करने और निश्चित समय सीमा के भीतर एफएमसीबीजी के विचार के लिए सिफारिशों के स्पष्ट सेट के साथ आगे बढ़ने के लिए जी 20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रूपरेखा कार्य समूह को कार्य करने के लिए अध्यक्ष के प्रस्ताव का भी समर्थन किया था।

2.2 (क) माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 26.03.2020 को कोविड-19 के लिए आर्थिक मोचन पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए पहल के तहत कोरोना वायरस के कारण लॉक डाऊन शुरु करने से गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्निलिखित घोषणाएं कीं:-

- बीमा योजना के अंतर्गत कोविड-19 से लड़ने वाले प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाना है।
- 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले तीन महीने तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल निःशुल्क मिलेगी।
- 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को अगले तीन महीने के लिए 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।

- 13.62 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए एक दिन में मनरेगा मजदूरी 182 रुपए से बढ़कर 202 रुपये हो गई।
- 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए की अनुग्रह राशि।
- सरकार 8.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए मौजूदा प्रधान मंत्री किसान योजना के अंतर्गत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों को 2,000 रुपए देगी।
- केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने एनआईआईएफ एफओएफ में दिनांक 28.3.2020 को अपने दूसरे समापन में 100 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने की प्रतिबद्धता की है।

2.3 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन वित्त अधिनियम, 2019 के माध्यम से किए गए थे। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा भारतीय स्टाम्प (शेयर बाजारों, समाशोधन निगम और निक्षेपागारों के माध्यम से स्टाम्प-शुल्क का संग्रहण) नियमावली, 2019 में संशोधन करने वाले वित्त अधिनियम, 2019 के संगत उपबंधों को एक साथ 10 दिसम्बर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और ये 09 जनवरी, 2020 को प्रभावी हुए जिनका विस्तार बाद में 08 जनवरी, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से 01 अप्रैल, 2020 तक कर दिया गया था। भारतीय शेयर बाजारों की सूचारू कार्य पद्धति सुनिश्चित करने और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राहत संबंधी कई उपायों को जारी रखते हुए, भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से किए गए संशोधनों के कार्यन्वयन की तारीख को 01 अप्रैल, 2020 से बढ़ाकर 01 जुलाई, 2020 तक कर दिया।

(1) आर्थिक कार्य विभाग ने मेघालय राज्य और अंडमान और निकोबार द्विप समूह संघ राज्य क्षेत्र में तीन प्रतिभूति कानूनों अर्थात् प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा निक्षेपागार अधिनियम 1996 के अंतर्गत अपराधों के मुकद्दमे तीव्र गति से निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों को 19.03.2020 की राजपत्र अधिसूचना जारी की है।

(2) आर्थिक कार्य विभाग ने उन इकाइयों को अपेक्षित ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 के नियम 19 में 19.03.2020 का संशोधन भी अधिसूचित किया है जो विशिष्ट मतदान अधिकार (डीवीआर) के साथ शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की इच्छा रखती है। बाजार में सूचीबद्ध होते समय, इस प्रकार के विशिष्ट मतदान अधिकार वाले शेयरों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के मानदण्ड से छूट प्रदान की गई है।

(3) कोविड-19 संकट को देखते हुए, बाजार विनियामक सेबी ने अन्य बातों के साथ-साथ, 20-31 मार्च, 2020 के दौरान निम्नलिखित उपाय किए हैं:

क. मामला दर मामला आधार पर, उन म्युच्युअल फंडों को स्कीम की निवल आस्तियों की मौजूदा 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई है जो स्कीम (मों) के लिए नकदी की

अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मोचन संबंधी अत्यधिक दबाव झेल रही हैं। इसके अतिरिक्त, म्युच्युअल फंडों से संबंधित अनुपालन अपेक्षाओं के संबंध में कुछ छूट दी गई है।

ख. सीआरए को छूट दी गई है किंतु ब्याज/मूलधन के भुगतान अथवा ऋण भुगतान के पुनर्सूचीकरण में विलंब लॉकडाउन परिस्थितियों के कारण नहीं किया जाए तथा/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण स्थगन की अवधि के दौरान हुई चूक को मान्यता देने का विचार करने के लिए यह छूट नहीं दी गई है।

ग. एसएएसटी (अधिग्रहण) विनियमों के विनियम 30(1), 30(2) और 31(4) के संदर्भों में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरणों को दायर करने की अंतिम तारीख 01 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

घ. 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए आरईआईटी (स्थावर संपदा निवेश न्यास) तथा इन्वआईटी (अवसंरचना निवेश न्यासों) के लिए विनियामक मिसिलबंदी और अनुपालनाओं की अंतिम तारीख संगत सेबी विनियमों के अंतर्गत निर्धारित समय सीमाओं से अधिक एक माह और बढ़ा दी गई है तथा बंधकों के सृजन को सुकर बनाया गया।

ङ एआईएफ, वीसीएफ तथा पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा विनियामक मिसिलबंदी के लिए 02 माह का विस्तार भी प्रदान किया गया है।

2.4 (क) वित्त मंत्री के अनुमोदन से उच्च गति इंटरकापटर बोट के अधिप्रापण के लिए 20.00 मिलियन अमरीकी डालर की एक ऋण श्रृंखला कोमोरोस सरकार को दिनांक 19.3.2020 को प्रदान की गई थी।

(ख) 374.440 बिलियन जापानी येन राशि के वित्त वर्ष 2019-20 ऋण पैकेज के अंतर्गत जेआईसीए ओडीए हेतु 9 परियोजनाओं के लिए नोटों के विनियमन को दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार एवं जापान सरकार के बीच हस्ताक्षर किया गया था एवं आदान-प्रदान किया गया।

2.5 हिमाचल प्रदेश में साधन संपोषणीयता एवं जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि हेतु एकीकृत परियोजना शीर्षक वाली परियोजना हेतु 80 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण सहायता हेतु एक ऋण करार पर हस्ताक्षर दिनांक 11 मार्च, 2020 को हुए।

2.6 बजट भाषण 2020-21 में बजट घोषणा की गई थी कि वित्तीय संविदाओं की नेटिंग के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु संसद में एक विधान लाया जाएगा। घोषणा के अनुसार अर्ह वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 (नेटिंग विधेयक) शीर्षक का विधेयक विभिन्न हितधारकों/मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तैयार किया गया था तथा मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए इसे मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया गया था। यह विधेयक अर्ह वित्तीय संविदाओं की नेटिंग के लिए मजबूत कानूनी आधार प्रदान करने की मांग करता है। यह बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को इनके सकल से निवल ऋण जोखिमों के साख जोखिमों को कम करने में मदद करेगा जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ऋण जोखिमों पर पर्याप्त पूंजी बचत होगी तथा संपूर्ण व्यवस्थित जोखिमों को कम करके वित्तीय स्थिरता में योगदान मिलेगा और यह आगे भारत में वित्तीय बाजार का विकास करेगा।

2.7 फरवरी, 2020 तथा प्राप्तियों एवं व्यय का सारांश

माह फरवरी, 2020 के लिए मासिक लेखाओं को अनंतिम अपरीक्षित विवरण के अनुसार फरवरी, 2020 तक कुल गैर ऋण प्राप्तियां 14,28,869 करोड़ रुपए थी जोकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 2018-19 के संशोधित अनुमान के 73.4 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमान 2019-20 में 74 प्रतिशत है (सीओपीपीवाई)। पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 73.2 प्रतिशत की तुलना में कुल राजस्व प्राप्तियां 2019-20 में संशोधित अनुमान का

74.5 प्रतिशत थी। फरवरी, 2020 के अंत में सकल कर राजस्व संशोधित अनुमान का 75.6 प्रतिशत था (सीओपीपीवाई-संशोधित अनुमान का 75.3 प्रतिशत)। कर राजस्व (निवल) संशोधित अनुमान का 74.1 प्रतिशत था (सीओपीपीवाई में 73.7 प्रतिशत) जबकि गैर-कर प्राप्तियां संशोधित अनुमान का 76.2 प्रतिशत थी (सीओपीपीवाई में 70 प्रतिशत)। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां संशोधित अनुमान का 62.6 प्रतिशत थीं (सीओपीपीवाई में 76.9 प्रतिशत)। व्यय पक्ष पर फरवरी, 2020 के अंत में कुल व्यय 24,65,354 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान का 91.4 प्रतिशत है (सीओपीपीवाई में 89.1 प्रतिशत)। इसमें संशोधित अनुमान का 91.9 प्रतिशत का राजस्व व्यय (सीओपीपीवाई में 89.4 प्रतिशत) तथा संशोधित अनुमान का 87.5 प्रतिशत का पूंजीगत व्यय (सीओपीपीवाई में 86.6 प्रतिशत) शामिल था। ब्याज अदायगी संशोधित अनुमान का सीओपीपीवाई में 85.3 प्रतिशत की तुलना में 82.1 प्रतिशत थी।

2.8 मार्च, 2020 माह के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई थीं:-

i. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 पर 26 मार्च, 2020 को आयोजित जी-20 एक्सट्राआर्डनरी लीडर्स वर्चुअल सम्मिट में भाग लिया।

ii. माननीय वित्त मंत्री ने जी-20 वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर की दूसरी एक्सट्राआर्डनरी वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया जोकि 31 मार्च, 2020 मंगलवार को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई, जिसमें तत्कालीन सचिव (आर्थिक कार्य) ने भी कोविड-19 के प्रत्युत्तर में जी-20 लीडर्स द्वारा नई वचनबद्धता को पूरा करने के लिए कार्रवाई चर्चा करने हेतु भाग लिया।

iii. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 23 मार्च, 2020 को जी-20 वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों के साथ की गई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर विचार-विमर्श करने तथा इस वैश्विक चुनौती के जबाव में उसके प्रभावों का समन्वय बिठाने के लिए भारत का नेतृत्व किया। इस बैठक में सुश्री अनु. पी. मथाई, सलाहकार (आईईआर) तथा आर्थिक कार्य विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था।

iv. तत्कालीन सचिव (आर्थिक कार्य) ने पीपीपीएसी की 93वीं बैठक की अध्यक्षता की जो दिनांक 17.03.2020 को आयोजित की गई थी जिसमें पीपीपीएसी की 91वीं बैठक (ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर तथा साबरमती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास) तथा 92वीं बैठक (यात्री रेल प्रस्ताव) में विचाराधीन प्रस्तावों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन का पुनर्वेधीकरण किया गया था।

v. तत्कालीन सचिव (आर्थिक कार्य) ने वित्त वर्ष 2019-20 में दिनांक 16.03.2020 को आयोजित बैठक में बोर्ड ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रस्ट्रक्चर फंड लिमिटेड की पांचवी बैठक की अध्यक्षता की जिसमें श्री के. राजारामन, अपर सचिव (निवेश, आईईआर तथा प्रशासन) ने निदेशक के रूप में भाग लिया।

vi. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (निवेश, आईईआर तथा प्रशासन) ने 24 तथा 25 मार्च को न्यू डेवलपमेंट बैंक की निदेशक मंडल की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में एनआईआईएफ में एनडीबी द्वारा 100 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया।

vii. श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबीएंडएडीबी) ने आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की 105वीं बैठक की अध्यक्षता की जो दिनांक 18 मार्च, 2020 को आयोजित की गई थी।

viii. श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबीएंडएडीबी) ने कोविड-19 से निपटने के लिए वित्तीय सहायता तथा सहायता मानदण्डों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की जो दिनांक 16 मार्च, 2020 को आयोजित की गई थी।

ix. श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबीएंडएडीबी) ने दिनांक 13 मार्च, 2020 को आयोजित बैठक में विश्व बैंक ड्राफ्ट निवेश नीति तथा भारत के लिए विनियामक समीक्षा पर विचार विमर्श करने हेतु अध्यक्षता की।

x. श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबीएंडएडीबी) ने गवर्नर, आरबीआई के साथ 04 मार्च, 2020 को कोविड-19 के प्रभाव पर आईएमएफसी प्रतिबंधित सत्र में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत का नेतृत्व किया।

xi. 2020 आईएमएफसी प्रतिनिधि बैठक स्पष्ट प्रारूप में (टेलीकॉन्फ्रेंसिंग) आयोजित की गई, इसका प्रथम सत्र 23 मार्च, 2020 को तथा द्वित्तीय सत्र 25 मार्च, 2020 को रखा गया। भारत का नेतृत्व निदेशक (आईएमएफ) ने किया।

xii. डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव (एफएसएंडसीएस) ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) प्लेनरी की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया जो 30 मार्च, 2020 को आयोजित की गई तथा इसमें कोविड-19 के वित्तीय स्थिरता निहितार्थ तथा अतिरिक्त कदम जो एफएसबी अथवा अन्यों द्वारा सूचना लेन-देन में सुधार करने तथा सीमा पार नीति समन्वय में सुधार करने के लिए उठाए जाने चाहिए, पर विचार किया गया।

xiii. डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसएंडसीएस) ने एफएसबी की टू-बिंग-टू-फेल (टीबीटीएफ) अरली वार्निंग ग्रुफ (ईडब्ल्यूजी) की तीन टेलीकॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया जो 04 मार्च, 23 मार्च तथा 31 मार्च, 2020 को आयोजित की गई थी।

xiv. डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव (एफएसएंडसीएस) ने एफएसबी की एससीएसआई इम्प्लीमेंटेशन मॉनीटरिंग टास्क फोर्स (आईएमटीएफ) टेलीकॉन्फ्रेंस में भाग लिया जो 11 मार्च, 2020 को आयोजित की गई थी।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना

शून्य।

5. विभाग में माह के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों एवं अनुमोदन हेतु प्रतीक्षारत एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति

विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षा: 06

******